

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2016

नगर पंचायत, मोतीपुर माध्यमिक शिक्षक के विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण

क्र० सं०	कोटि	विषय										कुल				
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	विज्ञान	गणित	समाजिक विज्ञान	शारीरिक शिक्षा	उर्दू	संगीत	नृत्य		ललित कला	बंगाला		
1	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अनुसूचित जाति (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जन जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	अनुसूचित जन जाति (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	पिछड़ा वर्ग (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पिछड़े वर्ग की महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	अनारक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	अनारक्षित (महिला)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	दृष्टि बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	श्रवण बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अस्थि बाधित विकलांग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- नोट : 1. कॉपीक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, विहार, पटना के श्रेणिक-62 दिनांक-05.01.07 के आलोक में विकलांग उम्मीदवारों के लिए तीन प्रतिशत समानांतर आरक्षण का लाभ देय है।
 2. सरकार के अपर सीध, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के पत्रांक-2342 दिनांक-15.02.16 के आलोक में सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35 प्रतिशत शैलिन आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर स्थित के अनुसार महिलाओं को 35 प्रतिशत शैलिन आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेक्टर बिन्दु के अनुसार कोटिवार दिया गया है।
 3. सरकार के अपर सीध, सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना के पत्रांक-2524 दिनांक-18.02.16 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नाती की नियुक्ति में 2 प्रतिशत शैलिन आरक्षण के क्रम में सेक्टर बिन्दु 50 तक व्यवहृत हो रहा हो तो एक अग्रणी का चयन तथा सेक्टर बिन्दु 100 तक व्यवहृत हो रहा हो तो दो अग्रणियों का चयन (जिस कोटि के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नाती की हींं उभी कोटि के सेक्टर बिन्दु पर शैलिन आरक्षण का लाभ देते हुए) किया जाएगा।
 4. विभागीय निर्देशानुसार सेक्टर एवं स्थित में संशोधन समाहित है।

जिला कार्यकारी पदाधिकारी
 मा0शि0आर0एम0रफर0पु0, मुजफ्फरपुर।

जिला कार्यकारी पदाधिकारी
 डी०ई०, मुजफ्फरपुर।

12

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
 मुजफ्फरपुर।

सर्वोच्च शिक्षा उप निदेशक
 जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

सर्वोच्च अनुमोदित